Big Loan Scheme

Under this scheme, different National Apex Corporations provide term loan to this Corporation upto Rs.5.00 lacs as a part of the total project cost/loan demanded by the aspirant applicants/beneficiaries on case to case basis. The loan under this category is provided for setting up of Income Generating Activities under the permissible non-polluting trades approved in Delhi. However for manufacturing units, the work place should be in approved industrial area. The loan is disbursed subject to completion of formalities prescribed by the Corporation/Apex Corporations and Letter of Intent issued by the respective National Apex Corporation. Under this category need based loan is financed to the prospective beneficiaries, at the sole discretion of the National Apex Corporations.

Target Groups:

a) Scheduled Castes
b) Other Backward Classes
c) Minorities
d) Safai Karamcharis
e) Persons with Disabilities

Eligibility Criteria :

i. The applicant should be a permanent resident of Delhi and must possess copy of Ration Card/Voter I Card.
ii. Aadhaar Card is madatorily required
iii. The applicant's age should be between 18-50 years.
iv. The annual family income of the applicant under SC, OBC & Minority categories should not exceed Rs.1,20,000/- per annum. However for creamy layer of Minority category, the maximum income ceiling is Rs.6.00 lacs per annum. There is no Income limit under PwDs & Safai Karamchari categories respectively.
v. The applicant should have not been declared as defaulter under any scheme of DSFDC, Nationalized Bank, Financial Institution or Co-operative Bank etc.
vi. The applicant should possess knowledge and experience as per the requirement of the scheme.
vii. The applicant must have a valid permission like SSI Certificate, Pollution Control Certificate or any permission required for setting up the Business/Industry (Manufacturing Unit) if required on case to case basis.

Documents required :-

(A) Pre-Sanction/with Application

1. Loan application form duly filled.
2. 5 Passport Size Photographs.
3. Copy of SC/ST/OBC/PwDs Certificate and in case of Minority, an Affidavit to this effect that applicant belongs to a particular Minority community is required.
4. Copy of Aadhar Card as proof of identity & residence.

5. Copy of Age Proof .
6. Income Certificate issued by SDM of area concerned in respect of SC/OBC & Minorities.
7. Affidavit declaring not availed any loan from any Bank/Financial Institution etc.
8. No Objection Certificate/Rent Agreement in respect of working place with ownership proof. The work place should be in confirming area/Industrial area.
9. Proof of Technical knowledge and Experience for the project.
10. Project Report and Five Year Projections of Estimated profit-loss statement duly attested by a Chartered Accountant.
11. Industrial licence issued by the Govt. of Delhi (in case of Industrial Unit).
12. SSI Registration Certificate in case of manufacturing unit.
13. Pollution under Control (PUC) Certificate in case of manufacturing unit.
14. Proforma Invoice/Quotations of the machinery and equipments to be installed.
15. Photographs of working place (along-with applicant) from different angles showing its location and area.
16. Processing Fee of Rs.350/- in favour of DSFDC.
17. Affidavit for personal guarantee.
18. Affidavit for legal heir of applicant.
19. Copy of Legal heir's ID and one passport size latest photograph.
20. Bonafide Disability Certificate issued by Govt. Hospital for availing loan under PwD category scheme is required. The disability should not be less than 40%.
21. For Safai Karamchari category the following persons are consider eligible for availing financial assistance under the various schemes of NSKFDC:
    - Scavengers/Safai Karamcharis and their dependants duly identified under the National scheme for liberation and rehabilitation of scavengers (NSLRS) through a survey.
    - Registered co-operative societies of Safai Karamcharis.
    - Legally constituted association/firm promoted by the target groups.
    - Persons who produce a certificate from local Revenue Officer/local Municipal Officer/Cantonment Executive Officer/Railway Officer, Head of the Govt. Departments (i.e. Schools, Colleges, Forest, Health, Education, Animal Husbandry) having rank not less than Gazetted Officer, Elected Members of Municipal Body, Pradhan of Gram Panchayats and Regional Managers of Regional Rural Banks (RRBs)/Nationalized Banks. However under the MS Act ,2013 ,a person identified as Manual Scavenger in

a survey need not to provide any certificate once his/her name appeared in the final list of Manual Scavengers prepared by State Govt/Union Territory Administration(www.mssurvey.nic.in)

22. Forms are available in the Head Quarter (Rohini) as well as Branch Offices (Raj Pur Road, Nand Nagari & Mangol Puri) of the Corporation. However, the same can be downloaded from the official website of the Corporation i.e. (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/)

(B) Post-Sanction:

1. *Guarantor(s) passport size photographs (04).*
2. *Guarantor(s) undertaking/details.*
3. *Latest Pay Slip.*
4. *Copy of Office I-Card.*
5. *Copy of Ration Card/voter ID/Aadhar Card.*
6. *Copy of guarantor(s) age proof .*
7. *Guarantor(s) Affidavit.*
8. *05 PDCs of Guarantor(s).*
9. *ECS mandate form in the prescribed format.*
10. *I.D. proof of two local witnesses alongwith their physical presence at the time of signing of Deeds.*
11. *Copies of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) to be submitted by the applicant..*
12. *Group photographs with applicant, guarantor(s) & witnesses alongwith the Scheme In-charge & Dealing Asstt.*

Recoveries :

Loan is recovered in 60 monthly installments over a period of five years with six months as moratorium period. However, under the scheme of PwD category the maximum period of repayment of loan is ten years with moratorium period of three months. The National Handicapped Finance & Development Corporation gives flexibility to recover loan at the discretion of SCA, in case it is acceptable to the loan seeker.

- : -

बिग लोन योजना

इस योजना के तहत रा-ट्रीय एजेन्सियों के द्वारा इस निगम को परियोजना लागत के अनुसार 5.00 लाख रूपये तक का टर्म लोन लक्षित समूह हेतु उपलब्ध कराया जाता है जो कि विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण होता है । इस योजना में लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु आय अर्जित करने के लिए प्रदू-ाण मुक्त अनुमोदित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत निर्माण वाली गतिविधियाँ सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक क्षेत्रों में स्थापित होनी चाहिए । ऋण का भुगतान निगम/रा-ट्रीय एजेन्सियों द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं एवं मापदण्ड पूरा करने पर रा-ट्रीय एजेन्सियो के माध्यम से आश्य पत्र जारी होने के उपरान्त किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत निम्न वर्ग के लाभार्थियों को रा-ट्रीय एजेन्सियों के माध्यम से आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

लक्षित समूह

1. अनुसूचित जाति
2. अन्य पिछड़ा वर्ग
3. अल्पसंख्यक समुदाय
4. सफाई कर्मचारी वर्ग
5. नि;शक्त जन

पात्रताएं

i) आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास दिल्ली का राशन काड एवं चुनाव पहचान पत्र ।

ii) आधार कार्ड अनिवार्य है ।

iii) आवेदक की आयु 18 से 50 व-र्ा के बीच होनी चाहिए ।

iv) आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्-िाक पारिवारिक आय अजा/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग में 1,20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग में जो उच्च वर्ग के लाभार्थी है, उनकी आय सीमा वार्-िाक 6.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । नि;शक्त जन वर्ग एवं सफाई कर्मचारी वर्ग में कोई आय सीमा नही है ।

v) आवेदक इस निगम/रा-ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान एवं को-ऑपरेटिव बैंक की किसी भी योजना में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए ।

vi) आवेदक को प्रस्तावित कार्य में पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए ।
आवेदक के पास एसएसआई प्रमाण पत्र, प्रदू-ाण मुक्त प्रमाण पत्र और प्रस्तावित कार्य हेतु अन्य अधिकृत प्राधिकारियों से निर्माण गतिविधियों के लिए अनुमति पत्र होना चाहिए । (प्रस्तावित कार्य के अनुसार लागू)

आवश्यक दस्तावेज

(क) ऋण स्वीकृति पूर्व/आवेदन पत्र के साथ

1. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र ।
2. आवेदक की 05 पासपोर्ट साईज फोटो ।
3. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण अथवा यदि आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से है तो शपथ पत्र ।
4. निवास एवं पहचान हेतु आधार कार्ड की प्रति ।
5. आयु प्रमाण पत्र ।
6. अजा/अपिव/अल्प0 वर्ग में क्षेत्रीय एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र ।
7. इस आश्य का शपथ पत्र कि लाभार्थी ने किसी रा-ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान इत्यादि से ऋण ना लिया हो ।
8. प्रस्तावित कार्यस्थल हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/किराया अनुबन्ध पत्र मालिक के पहचान पत्र के साथ । कार्यस्थल अनुमोदित व्यवसायिक/औद्योगिक क्षेत्र में होना चाहिए ।
9. प्रस्तावित कार्य हेतु तकनीकी योग्यता एवं अनुभव की प्रति ।
10. प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं पॉच साल के लाभ - हानि का विवरण चार्टेड अकाउन्टेन्ट के सत्यापन के साथ ।
11. औधोगिक ईकाई हेतु दिल्ली सरकार द्वारा औधोगिक लाईसेंस ।
12. निर्माण ईकाई हेतु एसएसआई प्रमाण पत्र ।
13. निर्माण ईकाई हेतु प्रदू-ाण मुक्त प्रमाण पत्र ।
14. प्रस्तावित कार्य में उपयोग होने वाले समान/यंत्र/मशीनरी की कुटेशन ।
15. प्रस्तावित कार्यस्थल की आवेदक के साथ विभिन्न कोणों में फोटोग्राफ ।
16. 350/- रूपये प्रक्रिया शुल्क हेतु डीएसएफडीसी के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट ।
17. व्यक्तिगत गारन्टी का शपथ पत्र ।
18. आवेदक के विधि वारिस का शपथ पत्र ।
19. विधि वारिस के पहचान पत्र की प्रति फोटो के साथ ।
20. नि;शक्त जन वर्ग हेतु सरकारी अस्पताल द्वारा जारी 40% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र ।

21. रा-ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं में निम्न आवेदक योग्य होंगें ;

- सिर पर मैला ढोने में कार्यरत योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति/ सफाई कर्मचारी वर्ग के व्यक्ति एवं उनके आश्रित ।
- विभिन्न रजिस्टर्ड कॉ-आपरेटिव सोसायटी ऑफ सफाई कर्मचारी ।
- विधि रूप से बनाई गयी संस्था/फर्म जो इस वर्ग से संबंधित हो ।
- वह व्यक्ति जो स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें/स्थानीय निगम अधिकारी/छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग का विभागाध्यक्ष (जैसे स्कूल, कॉलेज, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु पालन विभाग) जो कि राजपत्रित अधिकारी हो, चुने हुए निगम पार्-ाद, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्रीय प्रबंधक (क्षेत्रीय रूरल बैंक/रा-ट्रीयकृत बैंक) इसके अतिरिक्त सिर पर मैला ढोने की योजना के एक्ट 2013 के अन्तर्गत किये गए सर्वे में जिस व्यक्ति का चयन किया गया हो, जिसकी सूची राज्य सरकार /केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा तैयार की हो, को कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा । (www.mssurvey.nic.in)

22. आवेदन पत्र इस निगम कार्यालय की तीनों शाखा कार्यालय (राजपुर रोड़, मंगोल पुरी, नन्द नगरी) तथा मुख्य कार्यालय (रोहिणी) में उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त निगम कार्यालय की वेबसाईट (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(ख) ऋण स्वीकृति पश्चात की औपचारिकता

1. गारन्टर की 04 पासपोर्ट साईज फोटो ।
2. गारन्टर की अंडरटेकिंग/विवरण ।
3. गारन्टर की वर्तमान मूल वेतन पर्ची ।
4. गारन्टर के कार्यालय पहचान पत्र की प्रति ।
5. गारन्टर के राशन कार्ड/चुनाव पहचान पत्र/आधार कार्ड की प्रति ।
6. गारन्टर का आयु प्रमाण पत्र की प्रति ।
7. गारन्टर का शपथ पत्र ।
8. गारन्टर के पॉच पोस्टडेटिड चैक ।
9. एक स्थायी गारण्टर जो सरकारी/पीएसयू/अर्द्ध-सरकारी/स्थानीय निकाय में दिल्ली एवं रा-ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत हो तथा जिसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 व-र् शे-ा हो क्योंकि यदि लाभार्थी द्वारा किस्त समय पर जमा ना कराई जाए तो उसकी पूर्ति की जा सके । यदि कॉलेट्रल सिक्योरिटी की जाती है तो अचल सम्पति के मूल दस्तावेज पूरी चेन के साथ या स्वीकृत ऋण के 75 % की फेस वेल्यू के अनुसार एनएससी/केवीपी/एफडीआर की मूल प्रति, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा डीएसएफडीसी के नाम लियन पत्र के साथ ।
10. निर्धारित प्रारूप में ईसीएस फार्म ।
11 दो स्थानीय गवाह जो अपने पहचान पत्र के साथ डीड हस्ताक्षर के समय उपस्थित होगें ।

12. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की बीमा प्रति ।
13. आवेदक, जमानती, दो गवाहों, शाखा प्रभारी तथा संबंधित लिपिक सहित सामूहिक फोटोग्राफ ।

वसूली

ऋण का भुगतान 60 मासिक किस्तों (5 वर्ा) में करना होगा जिसमें 6 माह का विलम्ब काल दिया जाएगा । नि; शक्त जन योजना में ऋण भुगतान का समय अधिकतम 10 वर्ा है तथा 3 माह का विलम्ब काल है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को उक्त सीमा कम करने की सुविधा भी दी जाती है ।